

जी.ए.आर. 21/G.A.R.-21
(नियम 68 देखें/See Rule 68)

आवधिक वेतन वृद्धि प्रमाणपत्र
PERIODICAL INCREMENT CERTIFICATE

प्ररूप/Form 24 कोषागारनियम /T.R.-24
(नियम 272 देखें/See Rule 272)

- 1 प्रमाणित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित सरकारी कर्मचारियों ने, कॉलम 6 में दी गई तारीख से कम से कम वर्ष तक विनिर्दिष्ट पदों के धारक होने के कारण, कॉलम 7 में दी गई तारीख से आवधिक वेतन वृद्धियां उपाजित कर ली हैं। उक्त अवधि में से वेतन वृद्धि के लिए गणना में ली जाने वाली कार्य से अनुपस्थिति, वेतन बिना छुट्टी पर अनुपस्थिति आदि की अवधि काट दी गई है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि से तक और से तक ली गई छुट्टी की अवधि या अवधियों के दौरान जिनकी नीचे उल्लिखित स्थानापन्न सरकारी कर्मचारियों की दशा में वेतन वृद्धि के लिए गणना की गई है वे पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहते यदि वे छुट्टी पर नहीं जाते।

Certified that the Government servants named below have earned the prescribed periodical increments from the date cited in column 6, having been the incumbents of the posts specified for not less than year(s) from the date shown in column 7, after deducting periods of absence from duty note counting for increment, absence on leave without pay, etc. Further certified that during the period or periods of leave taken from to and from to which have been counted for increment in the case of officiating Government servant(s) named below, he/they would have officiated in the post/posts but his/their proceeding on leave.

2. प्रमाणित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित सरकारी कर्मचारी इससे संलग्न व्याख्यात्मक ज्ञापन में उल्लिखित आधार पर दी गई तारीख से आवधिक वेतन वृद्धियां उपाजित कर चुके हैं/करेंगे।

Certified that the Government servant(s) named below has/have earned/will earn periodical increments from the date cited for reason stated in the explanatory memo, attached hereto.

क्रम सं०. Sr. No.	पदधारी का नाम Name of incumbent	अधिष्ठायी या स्थानापन्न Whether substantive of Officiating	पद का वेतन Scale of pay of Post	वर्तमान वेतन Present pay	तारीख, जिससे वर्तमान वेतन लिया जा रहा है Date from which present pay is drawn	वेतन वृद्धि की तारीख Date of increment	भविष्य में वेतन Future pay	कार्य से अनुपस्थिति जो वेतन वृद्धि के लिए गणना नहीं की जाती / Absence from duty not counting for increment		वेतन बिना छुट्टी और उन व्यक्तियों की दशा में जो स्थानापन्न हैसियत में पद धारण किये हुए हैं अन्य सभी प्रकार की छुट्टी जिनके दौरान पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य नहीं करता रहा/नहीं कार्य करते रहते / Leave without pay and in the case of those holding the post in officiating capacity, all other kinds of leave during which he/they would not have continued to officiate in the post	
								से / From	तक / To	से / From	तक / To
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01-								--	--	--	--
02-								--	--	--	--
03-								--	--	--	--

सं.रा.भा/(29)1.स्था/.वेतन वृद्धि201/4/
संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन,
राजभाषा विभाग,सचिवालय,दमण
दिनांक : - / 07/2014.

सेवा में ,

- (1) सभी संबंधित कर्मचारी; (2) लेखा निदेशक, दमण ; (3) लेखा अनुभाग (रा.भा.); (4) कार्यालय प्रति.

आहरण अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदनाम
Signature and Designation of Drawing Officer

टिप्पणी :- NOTE	1. जब वह वेतन वृद्धि जिसका दावा किया गया है, सरकारी कर्मचारी द्वारा दक्षता रोध पार करनेके पश्चात् की प्रथम वेतन वृद्धि हो, तब कॉलम 5, 6 और 7 लाल स्याही से भरे जाएं। When the increment claimed is the first to carry a Government servant over an efficiency bar, columns 5, 6 & 7 should be filled up in red ink.
	2. प्रमाणपत्र (1) या (2) में से जो भी लागू हो उसी के अनुसार प्रत्येक नाम के सामने अंक (1) या (2) लिखे जाएं। व्याख्यात्मक ज्ञापन ऐसे मामले में प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसमें प्रमाणपत्र (2) लागू होता है। The figure (1) or (2) should be place against each name according as the certificate (1) or (2) applies. The explanatory memorandum should be submitted in any case in which certificate (2) applies.